



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 90 राँची, सोमवार 12 फाल्गुन 1935 (श०)  
3 मार्च , 2014 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
अधिसूचना

1 मार्च, 2014

संख्या-15/प्र0ई0पु0-06-05/2013 का.- 2149--झारखण्ड जिला अधिनियम, 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, गिरिडीह, चतरा एवं गुमला जिलान्तर्गत निम्नांकित अनुमण्डलों का सृजन स्तम्भ-4 में अंकित प्रखण्डों के क्षेत्र के साथ एवं स्तम्भ-5 में अंकित मुख्यालय निर्धारित करते हुए करते हैं:-

क्र०सं०	जिला	नवसृजित अनुमण्डल का नाम	संबंधित प्रखण्डों के नाम	नवसृजित अनुमण्डलों का मुख्यालय
1	2	3	4	5
1	गिरिडीह	खूरी महुआ	धनवार, गाँवा, तिसरी, देवरी, जमुआ	खूरी महुआ
2	गिरिडीह	डुमरी	बगोदर, सरिया, डुमरी, बिरनी	डुमरी
3	चतरा	सिमरिया	सिमरिया, टण्डवा, लावालौंग, पत्थलगड्डा एवं गिद्धौर	सिमरिया
4	गुमला	चैनपुर	चैनपुर, डुमरी, रायडीह	चैनपुर
5	गुमला	बसिया	बसिया, कामडारा, पालकोट	बसिया

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी ,

सरकार के प्रधान सचिव।

-----

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण)90—50 ।